

15/12/25 फ़ावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। फर्द एन्वॉयेण पेश, शाब्कान फ़ावली वास्ते ओदेश दि. 25/12/25 को पेश हो।

15/12/25

24/12/25 फ़ावली पेश हुई। वकील प्राथीगण उपस्थित। वल्ले एन्वॉयेण के परिपेक्ष्य में फ़ावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राथीगण द्वारा पेश ग्राम रुपारवेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी संख्या 2074-77, 2070-73, एवं 2066-69 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वास्त्राल आरावी खसरा क्र 32 रकबा 0.7588 haect एवं खसरा नं 670/90 रकबा 0.3416 haect प्राथीगण की पतन आरावी है जो निर्मालिह से विरासन में नाथालिह और नाथालिह से आरावी 1 नरालिह की undivided way में प्रप्त होना प्रतीत होती है जबकि खसरा नं 63 रकबा 0.5438 haect पतन संपत्ति जाहिर नहीं होती है। अतः स्युक्त हिन्दू परिवार की सदस्यिक संपत्ति पर प्राथीगण क्रम 1 से 3 का प्रथम से ही हक व अधिकार निहित होता है। आरावी 1 द्वारा बाकपूड सूचना अनुपस्थित रहने से भी यही presume त्रिपा जावेगा। अतः प्राथीगण का क्रम 4/5 2/2 RT Act आरावी हक से हकीकत त्रिपा जाता है। ग्राम आरावी की वास्त्राल ग्राम खसरा नं 32 व 670/90 में प्राथीगण के निहित notional share अंश: 38/16



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर वः  
अहकाम  
हुक्म की  
में जा

व 3X/16 पर सापसलामुमवास सापसल रिकॉर्ड की  
यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते  
हैं। SRO पिडावा पालना सुनिश्चित करें।  
कावली फ़ैसलसुमार होकर नम्बर 8 का काम लेना  
सुमवास के साथ लगाने हो



*[Signature]*  
24/1/25  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला सतलुज (राज.)